



# कार्यालय, समन्वयक, प्री. डी. एल. एड. परीक्षा एवं पंजीयक, शिक्षा विभागीय

## परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर

शिक्षा निदेशालय परिसर, लालगढ़, बीकानेर-334001

डी. एल. एड. (सामान्य) / डी. एल. एड. (संस्कृत)

(Formerly Known as B.S.T.C.)

प्रवेश परीक्षा, 2019

E-mail - panjiyakpredeled2019@gmail.com, Website - <http://education.rajasthan.gov.in/elementary>

दूरभाष: 0151-2226570

विज्ञापन संख्या - 01/2019 दिनांक 08.03.2019

राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण (अध्यापक शिक्षा) संस्थाओं में डी. एल. एड. सामान्य / डी. एल. एड. संस्कृत (Formerly Known as B.S.T.C.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली प्री. डी. एल. एड. परीक्षा (प्रवेश परीक्षा), 2019 हेतु राजस्थान राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E.) द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं मानदण्डों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित है।

क्र.सं.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियाँ
1.	ऑनलाईन आवेदन पत्रों की उपलब्धता	14 मार्च, 2019 से
2.	परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि	08 अप्रैल, 2019
3.	ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	10 अप्रैल, 2019 को रात्रि 12:00 बजे
4.	प्रवेश परीक्षा	26 मई, 2019 दोपहर 2.00 से 5.00 बजे

- (1) पात्र अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर टोकन प्राप्त कर ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
- (2) आवेदन शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 08 अप्रैल 2019 निर्धारित है। अतः अभ्यर्थी अन्तिम निर्धारित तिथि से पूर्व ही आवेदन शुल्क जमा करवा दें। अन्तिम निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा नही करें।
- (3) दिनांक 08 अप्रैल, 2019 तक ऑनलाईन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी दिनांक 10 अप्रैल 2019 को रात्रि 12:00 से पूर्व आवेदन ऑनलाईन फाइनल सबमिट कर उसका प्रिन्ट सुरक्षित रखा जावे।

पात्रता:-

(a) शैक्षणिक योग्यताएँ -

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदण्डानुसार अध्यापक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण) संस्थाओं में D.El.Ed. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे।

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	सामान्य	अनु. जाति/अनु. जन जाति	ओ.बी.सी. (अ.पि.व.)	विकलांग	सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिलाएँ
डी. एल. एड. (सामान्य) / डी. एल. एड. (संस्कृत), 2019	50 %	45%	45%	45%	45%

नोट:- उक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।

2. उपर्युक्त नम्बर 1 के कम में यदि आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होगा/होगी (अभ्यर्थी द्वारा समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा)।

3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर ही प्रवेश हेतु पात्र माना जाएगा।

4. जो आवेदक वर्ष: 2019 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे परन्तु उन्हें काउन्सिलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम निर्धारित काउन्सिलिंग की तिथि तक नहीं दिये जाने पर अथवा निर्धारित अंक प्राप्त नही होने पर अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा।

(b) आयु : आवेदक की आयु 1 जुलाई, 2019 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय सेवा में सेवारत शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बन्धन नहीं है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए राजकीय सेवा नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट देय होगी।

(c) शारीरिक अयोग्यता : ऐसे दिव्यांग आवेदक जो उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डालें, जैसे मूक (गूंगा) होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्णरूप से बहरा (Deaf) होना, दोनों हाथों का नही होना जिससे कि श्यामपट्ट कार्य नही कर सके, दोनों पैरों का नही होना जिससे कि अभ्यर्थी कक्षा में खड़ा नहीं हो सके इत्यादि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे आवेदक आवेदन नही करें। उपर्युक्त के अतिरिक्त नेत्रांध (Blind) व अन्य दिव्यांग प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (जो कि 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का हो) प्राप्त आवेदक ही दिव्यांग कोटे के लिए आरक्षित सीटों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(d) आरक्षण : - उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा।

(e) आवेदन प्रक्रिया :-

1. आवेदन - Online Application Form हमारी वेब साईट <http://education.rajasthan.gov.in/elementary> के माध्यम से लिये जायेगे। अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देय होगी। केवल परीक्षा शुल्क जमा कराने पर यह राशि रुपये 6/- होगी। अभ्यर्थी अपने स्तर से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑन-लाईन आवेदन करने से पूर्व वेब-साईट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें।
2. आवेदन पत्र ऑनलाईन ही स्वीकार्य होंगे। समन्वयक कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित न करें। किसी भी परिस्थिति में ऑफ-लाईन आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
3. निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाने के बाद ऑनलाईन आवेदन में समस्त प्रविष्टियाँ दर्ज कर फाइनल सबमिट करने पर ही आवेदन भरा हुआ माना जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन का प्रिन्ट आउट आवेदक अपने स्तर पर सुरक्षित रख लें।
4. आवेदन शुल्क :-

डी. एल. एड. (सामान्य) अथवा डी. एल. एड. (संस्कृत) में से किसी एक पाठ्यक्रम हेतु - रुपये 400/- (रुपये चार सौ मात्र)

डी. एल. एड. (सामान्य) एवं डी. एल. एड. (संस्कृत) दोनों पाठ्यक्रमों हेतु- रुपये 450/- (रुपये चार सौ पचास मात्र)

उपर्युक्तानुसार परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान ऑन-लाईन पेमेंट, डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट अथवा नेट बैंकिंग द्वारा सफलतापूर्वक पेमेंट करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे।

इच्छुक अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रमों के लिये आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में उल्लेखित वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा-निर्देश का अध्ययन व अवलोकन कर ऑनलाईन आवेदन करें। उक्त प्रवेश पूर्व परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यालय समय में प्रातः 10:00 बजे से सायं: 5:00 बजे तक व्यक्तिस सम्पर्क कर अथवा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0151-2226570 बात कर प्राप्त कर सकते हैं।

नोट:- प्रस्तुत विज्ञापन में वर्णित समस्त प्रकार की शर्तों, अर्हताओं, योग्यताओं एवं नियमों का शासन द्वारा निर्धारित नियमों तथा विधि सम्मत प्रक्रिया/माननीय न्यायालय के आदेशों के अधिनियमों से पूर्ण/आंशिक विभेद होने पर इन्हें अन्तिम नहीं माना जाएगा। विभिन्न तिथियों में मासिक निर्वाचन आयोग अथवा सार्वजनिक हित में शासन द्वारा निर्धारित अन्य कार्यक्रमों के अनुसार परिवर्तन सम्भव है तथा ऐसे किसी अपरिहार्य परिवर्तन/संशोधन/संशोधन को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसी समस्त सूचनाएँ हमारी उल्लेखित वेब साईट पर अपडेट कर दी जायेगी।


समन्वयक

प्री. डी. एल. एड. परीक्षा, 2019

कार्यालय, समन्वयक, प्री डी.एल.एड. परीक्षा एवं पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर  
विज्ञापन संख्या-02/2019 दिनांक 13.03.2009 (मूल विज्ञापन संख्या 01/2019 दिनांक 08.03.2019)

—:संशोधित विज्ञापन:—

राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में D.El.Ed (सामान्य/संस्कृत), जो कि पूर्व में बी.एस.टी.सी कहलाता था, में प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा, 2019 के लिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाने वास्ते इस कार्यालय द्वार विज्ञापन संख्या 01/2019 दिनांक 08.03.2019 जारी किया गया तथा दिनांक 10.03.2019 को प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन में ऑनलाईन आवेदन पत्रों की उपलब्धता के लिए तिथि 14.03.2019 निर्धारित थी। कतिपय तकनीकी कारणों से सार्वजनिक हित में ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र की वेबसाइट पर उपलब्धता की तिथि 14.03.2019 के स्थान पर सोमवार दिनांक 18.03.2019 निर्धारित की जाती है। विज्ञापन की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत (विज्ञापन संख्या: 01/2019 दिनांक 08.03.2019, प्रकाशन दिनांक 10.03.2019 के अनुसार) रहेंगे।

  
समन्वयक

प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2019